रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1997/आषाढ़ 17, 1919
No. 271] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1997/ASADHA 17, 1919

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1997

**सा. का. नि. 370(अ).**— केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं – कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख को,—

(क) वह कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय किया हो; या

(ख) वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो; या

(ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए निम्नलिखित रहा हो,—

(i) न्यायिक सेवा का सदस्य; या

(ii) अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण करता हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो।

(iii) जज ए[illegible]केट जनरल के विभाग या सशस्त्र बलों के विधि विभाग में कोई पद धारण करता हो।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(II) नियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप के अनुसार और उक्त नियम के खंड (ख) और ,खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप II के अनुसार अभ्यावेदन किया जाएगा;

(3) नियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा :—

(क) मजिस्ट्रेट

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक

(ग) वणिक, और

(घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटेरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. व्यवसाय और क्षेत्र के विस्तारण का प्रमाणपत्र जारी करने और उसका नवीकरण करने के लिए फीस,—व्यवसाय और क्षेत्र के विस्तारण का प्रमाणपत्र जारी करने और उसका नवीकरण करने के लिए, फीस निम्नानुसार होगी :—

| | |
|---|---|
| (क) व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए | - 1000 रुपए |
| (ख) व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तारण करने के लिए | - 750 रुपए |
| (ग) व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए | - 500 रुपए |
| (घ) व्यवसाय प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए | - 300 रुपए" |

6. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. नोटेरी कार्य करने के लिए नोटेरी को संदेय फीस - (1) प्रत्येक नोटेरी नीचे उल्लिखित दर से अनधिक फीस प्रभारित कर सकेगा; अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| (क)लिखत लिखने के लिए : | |
| यदि लिखत की राशि 10 हजार रुपए से अनधिक है; | 25 रुपए |
| यदि राशि 10 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 25 हजार रुपए से अनधिक है; | 50 रुपए |
| यदि राशि 25 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 50 हजार रुपए से अनधिक है; | 75 रुपए |
| यदि यह 50 हजार रुपए से अधिक है; | 100 रुपए |
| (ख) लिखित की अभ्यापत्ति के लिए :— | |
| यदि लिखत की राशि 10 हजार रुपए से अनधिक है; | 25 रुपए |
| यदि राशि 10 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 25 हजार रुपए से अनधिक है; | 50 रुपए |
| यदि राशि 25 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 50 हजार रुपए से अनधिक है; | 75 रुपए |
| यदि राशि 50 हजार रुपए से अधिक है किन्तु एक लाख रुपए से अनधिक है; | 75 रुपए |
| यदि राशि एक लाख रुपए से अधिक है | 100 रुपए |
| (ग) आदरणार्थ संदाय की घोषणा के अभिलेखन के लिए | 50 रुपए |
| (घ) अभ्यापत्तियों की दूसरी प्रतियों के लिए; | मू[redacted]र का आधा |

| | |
|---|---|
| (ङ.) किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए | 10 रुपए |
| (च) स्वीकार करने, संदाय करने या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए किसी वचनपत्र, हुंडी या विनिमयपत्र प्रस्तुत करने के लिए | 25 रुपए |
| (छ) शपथ दिलाने या ग्रहण करने के लिए | 10 रुपए |
| (ज) भारत या भारत के बाहर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखत ऐसे प्ररूप और ऐसी भाषा में तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रवर्तित होने के लिए आशयित है; | 100 रुपए |
| (झ) भारत या भारत के बाहर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखत ऐसे प्ररूप और ऐसी भाषा में अनुप्रमाणित या अधिप्रमाणित करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रवर्तित होने के लिए आशयित है; | 100 रुपए |
| (ञ) किसी दस्तावेज को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और उस अनुवाद का सत्यापन करने के लिए; | 50 रुपए |
| (ट) पोत की अभ्यापत्ति या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों से संबंधित अभ्यापत्ति लिखने और तैयार करने के लिए; | 100 रुपए |
| (ठ) दस्तावेज की प्रतियों को उसकी मूल प्रतियों को सही रूप में प्रमाणित करने लिए | 5 रुपए |
| (ड) कोई अन्य नोटरी कार्य करने के लिए | ऐसी राशि जो समुचित सरकार समय-समय पर नियत करें; |

(2) नोटेरी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस की दरें उसके कक्ष या कार्यालय के भीतर और साथ ही बाहर किसी सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी।

(3) उपरोक्त फीस के अतिरिक्त कोई नोटेरी 5 रुपए प्रति किलो मीटर की दर पर यात्रा भत्ता सड़क या रेल द्वारा ले सकेगा;

7. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12. प्रत्येक नोटेरी 5 से०मी० के व्यास वाली सादी गोल मुद्रा का उपयोग करेगा जो नीचे रेखाचित्र में दी गई है, जिसमें अपना नाम, उस क्षेत्र का नाम जिसके भीतर उसे अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और मेरे में "नोटेरी" तथा उस सरकार का नाम जिसने उसे नियुक्त किया है, होगा।

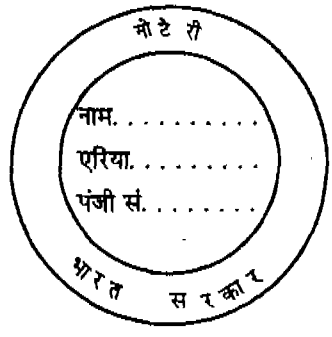


8. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7 इस नियम के अधीन नोटेरी को जारी प्रत्येक नोटिस उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि कोई ऐसा नोटिस इस पृष्ठांकन को उपदर्शित करते हुए कि संबोधिती ने नोटिस को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, या यह नोटिस को प्रेषण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बिना तामील हुए वापस नहीं जाती है तो नोटिस नोटेरी को सम्यक् रूप से तामील हुई समझी जाएगी।"

9. उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप 1

[नियम 4(2) देखिए]

**अभ्यावेदन**

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म की तारीख .....
4. आवासीय पता .....

.....

पिन कोड .....

टेलीफोन ..... फैक्स .....

चैम्बर .....

.....

टेलीफोन ..... फैक्स .....

फोटोप्रति

5. शैक्षिक अर्हताएं (कृपया फोटोप्रतियां संलग्न करें) :
6. अभ्यावेदन की तारीख (कृपया फोटोप्रतियां संलग्न करें) :
7. निम्नलिखित में व्यवसाय :

सिविल पक्ष, दांडिक पक्ष, कराधान, राजस्व न्यायालय

8. क्या आय-कर निर्धारिती है :

अभ्यावेदन (आवेदक का नाम) ..... के हस्ताक्षर ..... (स्पष्ट अक्षरों में)

निम्नलिखित उल्लेख करता हूं :—

(1) कि अभ्यावेदक नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति है।

(2) कि अभ्यावेदक ने ..... में (यहां स्थानीय क्षेत्र का नाम, न्यायालय का नाम जहां वह व्यवसाय करना चाहता है, उल्लिखित करें) निवास किया है और ..... (अवधि उल्लेख करें) तक की अवधि के लिए निवास करेगा।

(3) कि स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे नोटेरियों की पूर्वोक्त संख्या वहां की आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है (कथन के आधार संलग्न करें)।

4. कि पूर्ववर्ती छह मास के भीतर अभ्यावेदक का पूर्व आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापस लिया गया है।

अत: अभ्यावेदक प्रार्थना करता है कि नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन सरकार ..... (यहां स्थानीय क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में व्यवसाय करने के लिए उसे नोटेरी के रूप में नियुक्त करने और सम्मिलित करने की कृपा करें।

तारीख .....19 का.....दिन

| हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पते | वृत्ति | फर्म/संगठन का नाम और पता | आवेदक के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|

टिप्पण : नियम 4(3) के अधीन अभ्यावेदन किसी मजिस्ट्रेट राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक; वणिक और उस क्षेत्र के दो प्रमुख निवासियों द्वारा जहां नोटेरी व्यवसाय करना चाहता है, प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए

10. उक्त नियमों के प्ररूप II ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

**प्ररूप II ख**

[नियम 8 (5) देखिए]

.....सरकार

**( संप्रतीक )**

**व्यवसाय—प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. ..... निवास को नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में सम्पूर्ण ..... में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर से और सरकार की मुद्राधीन तारीख ..... को दिया गया।

सचिव
भारत सरकार/..... सरकार
(राज्य सरकार का नाम)

[फा. नं. 5(15)/94-न्यायिक]
अजय सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**
**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 1997

**G.S.R. 870(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 1997.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Qualifications for appointment as a notary. No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—
(a) he had been practising at least for ten years as a legal practitioner, or
(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or
(c) he had been at least for ten years,—
(i) a member of Judicial Service; or
(ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or
(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.".

3. In rule 4 of the said rules, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely :—
"(2) The memorial shall be drawn by a person referred to in clause (a) of rule 3 in accordance with Form I and by a person referred to in clauses (b) and (c) of the said rule in accordance with Form II.
(3) The memorial of a person referred to in clause (a) of rule 3 shall be signed by the applicant and shall be countersigned by the following persons :—

(a) a Magistrate;
(b) a Manager of a nationalised bank;
(c) a merchant; and
(d) two prominent inhabitants of the local area within which the applicant intends to practise as a notary.''.

4. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (2), clause (a) shall be omitted.

5. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

''9. Fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area. The fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area shall be as under,—

(a) issue of certificate of practice—Rs. 1000;
(b) extension of area of practice—Rs. 750;
(c) renewal of certificate of practice—Rs. 500;
(d) issue of a duplicate certificate of practice—Rs. 300.''.

6. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

''10. Fees payable to a notary for doing any notarial act.—(1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely:—

**(a) for noting an instrument :**

| | |
|---|---|
| if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000 | — Rs. 25 |
| if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | — Rs. 50 |
| if it exceds rupees 25,000 but does not exced rupees 50,000 | — Rs. 75 |
| if it exceds rupees 50,000 | — Rs. 100 |

**(b) for protesting an instrument :**

| | |
|---|---|
| if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000 | — Rs. 25 |
| if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | — Rs. 50 |
| if it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 50,000 | — Rs. 75 |
| if it exceeds rupees 50,000 but does not exceed rupees 1,00,000 | — Rs. 75 |
| if it exceds rupees 1,00,000 | — Rs. 100 |

**(c) for recording a declaration of payment for honour — Rs. 50**

**(d) duplicate protests — half the charge of original**

(e) for verifying, authenticating, certifying or Attesting the execution of any instrument. — Rs. 10
(f) for presenting any promissory note, hundi or bill of exchange for acceptance or payment or demanding better security. — Rs. 25
(g) for administering oath to, or taking affidavit from any person — Rs. 10
(h) for preparing any instrument intended to take effect in any country or place outside India in such form, and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate. — Rs. 100
(i) for attesting or authenticating any instrument to take effect in any country or place outside India in such form and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate. — Rs. 100

(j) for translating and verifying the translation of any document from one language to another. — Rs. 50

| | |
|---|---|
| (k) for noting and drawing up ship's protest, protest or relating to demurrage and other commercial matters. | — Rs. 100 |
| (l) for certifying copies of document as true per page Copies of the original. | —Rs. 5 |
| (m) for any other notarial act | such sum as the appropriate Government may fix from time to time. |

(2) The rates of fees to be charged by a notary shall be displayed by him in conspicuous place inside as well as outside his chamber or office.

(3) In addition to the above fees, a notary may charge the travelling allowance by road or by rail at the rate of rupees five per kilometre.''.

7. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

''12. Seal of notary.—Every notary shall use a plain circular seal of a diameter of 5 cm. as indicated by a drawing given below, bearing his name, the name of the areas within which he has been appointed to exercise his functions, the registration number and the circumscription ''NOTARY'', and the name of the Government which appointed him''

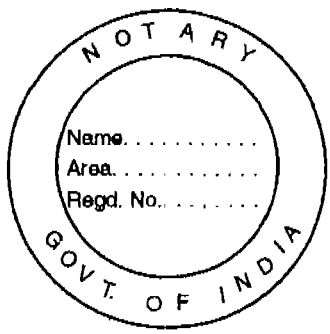


8. In rule 13 of the said rules, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

''(7) Every notice issued to a notary under this rule shall be sent to him by registered post. If any such notice is returned unserved with an endorsement indicating that the addressee has refused to accept the notice or the notice is not returned unserved within a period of thirty days from the date of its despatch, the notice shall be deemed to have been duly served upon the notary.''.

9. In the said rules, for Form I, the following Forms shall be substituted, namely :—

''FORM I

[See rule 4(2)]

Memorial

1. Name of the applicant .....
2. Father's name .....
3. Date of birth .....
4. Address (Residence) .....

.....

Pin .....

Telephone ..... Fax .....

Address (Office) .....

.....

Photograph

5. Educational qualifications (Please attach photocopies) .....
6. Date of enrolment (Please attach photocopies) .....
7. Practising in :
   Civil side : .....
   Criminal side : .....
   Taxation .....
   Revenue Courts : .....
8. Whether Income-tax Assesee :

The memorial of (name of the applicant) showeth .....(in block letters) .....

1. that the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952, and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;
2. that the memorialist has resides in ..... (here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards of ..... (state how long);
3. that the number of notaries practising in the local area is insufficient for the requirements thereof (the grounds of the statement should be added);
4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

The memorialist, therefore, prays that the Government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 to practise in ..... (here state the name of the local area).

Dated : ..... day of ..... 19 Signature of the applicant

| Name and address of signatories | Profession | Name and address of the firms/organisation | Signature |
|---|---|---|---|

**Note :** Under rule 4(3) the memorial should be countersigned by a magistrate, a manager of a nationalised bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where he intends to practice as a notary.

**FORM II**

[See rule 4(2)]

1. Name .....
2. Father's name .....
3. Date of birth .....
4. Residence Address .....

.....

.....

(Office) .....

.....

Photograph

5. Educational Qualification .....

6. Date of joining Government Service.....

7. Date of retirement .....

8. Post held at the time of retirement.....

Signature

**Note :** Necessary proof about eligibility under rule 3(b) and (c) of the Notaries Rules, 1956 is to be attached. Rule 3(b) and (c) are as follows :—

"3. Qualifications for appointment as a notary.—No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—

(a) .....

(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or

(c) he had been at least for ten years;

(i) a member of Judicial Service; or

(ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate;

(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.".

10. In the said rules, for Form II-B the following Form shall be substituted, namely :

**FORM II–B**

[See rule 8(5)]

GOVERNMENT OF .....

**(Emblem)**

CERTIFICATE OF PRACTICE

Certified that ..... Son/daughter/wife ..... of ..... resident of ..... has been appointed as a notary under the Notaries Act 1952 (53 of 1952) and is authorised to practise as such in and throughout ..... for a period of five years .....

Given under my hand and seal of the Government of ..... this ..... day of .....

Secretary to the Government of India/
Government of .....
(Name of the State)

[F. No. 5(15)/94-Judl.]

AJOY SINHA, Jt. Secy. and Legal Adviser

1677 GI/97-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1998/भाद्र 9, 1920
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1998/BHADRA 9, 1920

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1998

**सा. का. नि. 547(अ).**— केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये नियम 8 जुलाई, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 के प्ररूप II-ख में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

प्रत्येक नोटरी उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसको नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन उसे प्रमाणपत्र जारी किया जाता है । तथापि, सा.का. नि. 370(अ) तारीख 8-7-97 द्वारा प्रकाशित नोटरी (संशोधन) नियम, 1997 में "तीन वर्ष" की अवधि के स्थान पर अनबधानतावश "पांच वर्ष" का उल्लेख हो गया है । इसे मूल अधिनियम के अनुरूप करने के लिए विद्यमान नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

[फा. सं. 5(15)/94-जुडि']

शिव प्रकाश, अपर सचिव

**पाद टिप्पण :**— मूल नियम का. नि. आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे । ऐसा अन्तिम संशोधन का. नि. आ. 370(अ) तारीख 8 जुलाई, 1997 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF LAW**

**(Department of Legal Affairs)**

**NONTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 1998

**G.S.R. 547(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Nofaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 1998.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 8th day of July, 1997.

2. In the Notaries rules, 1956, in Form II-B, for the words "five years" the words "three years" shall be substituted.

**Explanatory Memorandum**

Every notary is authorised to practise for a period of three years from the date on which the certificate is issued to him under sub-clause (b) of clause (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952. However, in the Notaries (Amendment) Rules, 1997 published vide G.S.R. 370(E) dated 8-7-97, the period of "three years" has been inadvertantly mentioned as "five years". To bring the rules in tune with the principal Act, it is proposed to amend the existing rules with retrospective effect.

[F. No. 5(15)/94-Judl.]

SHIV PRAKASH, Addl. Secy.

**Foot Note** :—The principal rules were published in the official Gazette vide S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and was amended from time to time. The last such amendment was made vide G.S.R. 370(E) dated 8th July, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2000/आषाढ़ 30, 1922
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2000/ASADHA 30, 1922

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय**

**(विधि कार्य विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2000

**सा.का. नि. 630 (अ).**— केन्द्रीय सरकार नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (तीसरा संशोधन )नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 के नियम 10 में, उप नियम (1)के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक नोटरी नीचे वर्णित दरों से अनधिक फीस प्रभारित कर सकेगा, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | किसी लिखत को नोट करने के लिए-<br>यदि लिखत की रकम 10,000 रूपये से अधिक न हो | -35/-रूपए |
| | यदि यह 10,000 रूपए से अधिक हो किंतु 25,000 रूपये से अधिक न हो | -75/-रूपए |

| | |
|---|---|
| यदि यह 25,000 रूपए से अधिक हो किंतु 50,000 रूपए से अधिक न हो | -110/-रूपए |
| यदि यह 50,000 रूपए से अधिक हो | -150/-रूपए |
| (ख) किसी लिखत का प्रसाक्ष्य करने के लिए- यदि लिखत की रकम 10,000 रूपए से अधिक न हो | -35/-रूपए |
| यदि यह 10,000 रूपए से अधिक हो किंतु 25,000 रूपए से अधिक न हो | -75/-रूपए |
| यदि यह 25,000 रूपए से अधिक हो किंतु 1,00,000 रूपए से अधिक न हो | -110/-रूपए |
| यदि यह 1,00,000 रूपए से अधिक हो | -150/-रूपए |
| (ग) आदरणार्थ संदाय की घोषणा के अभिलेखन के लिए | -75/-रूपए |
| (घ) प्रसाक्ष्यों की दूसरी प्रति | -मूल प्रभार का आधा |
| (ङ) किसी लिखत के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करने के लिए | -15/-रूपए |
| (च ) स्वीकार करने, संदाय करने या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमय पत्र प्रस्तुत करने के लिए | -35/-रूपए |
| (छ) किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने या उससे शपथ पत्र लेने के लिए | 15/-रूपए |
| (ज) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित किसी लिखत को ऐसे प्ररूप और भाषा में तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है | -150/-रूपए |
| (झ) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित किसी लिखत को ऐसे प्ररूप और भाषा में अनुप्रमाणित या अधिप्रमाणित करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है | -150/-रूपए |
| (ञ) एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करने और ऐसे अनुवाद का सत्यापन करने के लिए | -75/-रूपए |

| | | |
|---|---|---|
| (ट) | पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डैमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट और लेखबद्ध करने के लिए | -150/-रूपए |
| (ठ) | दस्तावेजों की प्रतियों को मूल की सही प्रतियों के रूप में प्रमाणित करने के लिए | -5/-रूपए (प्रति पृष्ठ), न्यूनतम 10/-रूपए |
| (ड) | कोई अन्य नोटरी संबंधी कार्य | ऐसी राशि जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।" |

[फा. सं. 5(64)/2000-एन.सी.]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

पाद टिप्पण :— मूल नियम तारीख 14.2.1956 को का0नि0आ0 324 के तहत अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात्, उन्हें सा0का0नि0 370 (अ0), तारीख 8.7.1997, सा0का0नि0 547(अ0), तारीख 31.8.1998, सा0का0नि0 17(अ0), तारीख 5.1.2000 और सा0का0नि0 262 (अ0), तारीख 28.3.2000 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2000

G.S.R. 630(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in rule 10, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely,-

"(1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely,-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | for noting an instrument - | |
| | if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000 | -Rs.35/- |
| | if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | -Rs.75/- |
| | if it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 50,000 | - Rs.110/- |
| | if it exceeds rupees 50,000 | -Rs.150/- |
| (b) | for protesting an instrument - | |
| | if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000 | - Rs.35/- |
| | if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | - Rs.75/- |
| | if it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 1,00,000 | - Rs.110/- |
| | if it exceeds rupees 1,00,000 | - Rs.150/- |
| (c) | for recording a declaration of payment for honour | - Rs.75/- |
| (d) | duplicate protests | -half the charge for original |
| (e) | for verifying, authenticating certifying or attesting the execution of any instrument | - Rs.15/- |
| (f) | for presenting any promissory note, hundi or bill of exchange for acceptance or payment or demanding better security | - Rs.35/- |
| (g) | for administering oath to, or taking affidavit from any person | - Rs.15/- |

| | | |
|---|---|---|
| (h) | for preparing any instrument intended to take effect in any country or place outside India in such form and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate | -Rs.150/- |
| (i) | for attesting or authenticating any instrument to take effect in any country or place outside India in such form and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate | -Rs.150/- |
| (j) | for translating and verifying the translation of any document from one language to another | - Rs.75/- |
| (k) | for noting and drawing up ship's protest, boat protest or protest relating to demurrage and other commercial matters | -Rs.150/- |
| (l) | for certifying copies of documents as true copies of the original | - Rs.5/- per page minimum Rs.10/- |
| (m) | for any other notarial act | - such sum as the appropriate Government may fix from time to time". |

[F. No. 5(64)/2000-NC]
BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy. and Legal Adviser

Foot Note :— The principal rules were notified, vide SRO 324 dated 14.02.1956 and subsequently amended by GSR 370(E) dated 08.07.1997, GSR 547(E) dated 31.08.1998, GSR 17(E) dated 05.01.2000 and GSR 262(E) dated 28.03.2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
No. 178] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

**सा.का.नि. 262(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।

2. नोटरी नियम, 1956 के,—

(क) नियम 8 के उपनियम (4) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 8क में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(15)/94-एन सी]

कृष्णा कुमार, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

**टिप्पण:**—मूल नियम का. नि. आ. 324 तारीख 14-2-1956 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 870(अ) तारीख 8-7-97 और सा. का. नि. 17 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2000 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

**G.S.R. 262(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2000.

2. In the Notaries Rules, 1956,—

(a) in rule 8, in sub-rule (4), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;

(b) in rule 8A, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[F. No. 5 (15)/94-NC]

KRISHNA KUMAR, Jt. Secy.& Legal Adviser

**Note:**–The Principal Rules, were notfied vide S.R.O. 324, dated 14-2-1956 and subsequently amended by GSR 870 (E) dated 8-7-1997 and G.S.R. 17 (E) dated 5th January, 2000.



Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2000/पौष 15, 1921
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2000/PAUSA 15, 1921

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

**सा.का.नि. 17(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में उपनियम (क) के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) कोई व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कक) कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का हो और जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कख) कोई महिला जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रही हो, या"

[फा. सं.-5(485)/99-एन. सी.]

कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

### (Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2000

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely —

(i) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2000.

(ii) This shall come into force from the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in rule 3, sub-rule (a), the following shall be substituted, namely .—

"(a) a person had been practising at least for ten years, or

(aa) a person belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes had been practising at least for seven years, or

(ab) a woman who had been practising at least for seven years,

as a legal pactitioner, or"

[No. 5(485)/99-NC]

KRISHNA KUMAR, Jt Secy & Legal Adviser

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D. L -33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2001/फाल्गुन 21, 1922

No. 108] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2001/PHALGUNA 21, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2001

**सा. का. नि. 172(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 में नियम 4 के उपनियम (2) में प्ररूप I और प्ररूप II के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप -I

अभ्यावेदन

[नियम 4(2)]

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म की तारीख .....
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के हैं .....
5. पता (निवास) .....

.....

.....

पिन .....

फोटो

टेलीफोन ..... फैक्स ..... ई मेल .....

पता (कार्यालय).....

.....

.....

पिन .....

टेलीफोन ..... फैक्स ..... ई मेल .....

6. शैक्षिक अर्हताएं (कृपया सत्यापित फोटोप्रतियां संलग्न करें)

.....

.....

.....

.....

.....

7. नामांकन क्रमसंख्यांक और तारीख (कृपया सत्यापित फोटोप्रतियां संलग्न करें) .....

8. किस क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं :

सिविल पक्ष .....

दाण्डिक पक्ष .....

कराधान.....

राजस्व न्यायालय.....

9. क्या आयकर निर्धारिती हैं .....

10. .....(आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में) के अभ्यावेदन से निम्नलिखित दर्शित होता है—

1. कि अभ्यावेदक नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नोटरी नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति है;

2. कि अभ्यावेदक ..... में निवास करता है (यहां स्थानीय क्षेत्र का नाम या न्यायालय का नाम जहां वह व्यवसाय करना चाहता है, का उल्लेख करें) और .....(अवधि का उल्लेख करें) तक की अवधि के लिए निवास करेगा;

3. कि स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे नोटरियों की संख्या वहां की आवश्यकताओं के अनुसार अपर्याप्त है (कथन के आधार संलग्न करें);

4. कि पूर्ववर्ती छह माह के भीतर अभ्यावेदक का कोई आवेदन पहले अस्वीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापस नहीं लिया गया है;

अत: अभ्यावेदक प्रार्थना करता है कि सरकार उसे नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन .....(यहां स्थानीय क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त और सम्मिलित करने की कृपा करें।

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर

| हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पते | वृति | फर्म/संगठन का नाम और पता | हस्ताक्षर मोहर सहित |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

टिप्पण : नियम 4(3) के अधीन यह अभ्यावेदन जिस क्षेत्र में नोटरी व्यवसाय किया जाना है, उस क्षेत्र के किसी मजिस्ट्रेट, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक, किसी वणिक और दो प्रमुख निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्ररूप -II

[नियम 4(2)]

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म की तारीख .....
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/..... अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के हैं
5. पता (निवास).....
   .....
   .....
   पिन .....
   टेलीफोन..... फैक्स .....
   ई मेल .....
   पता (कार्यालय).....
   .....
   .....
   पिन .....
   टेलीफोन ..... फैक्स ..... ई मेल .....
6. शैक्षिक अर्हताएं .....
7. सरकारी सेवा में आने की तारीख .....
8. सेवानिवृत्ति की तारीख .....
9. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद .....
10. वह क्षेत्र जहां अभ्यावेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है .....

फोटो

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : नोटरी नियम, 1956 के नियम 3(ख) और (ग) के अधीन पात्रता की बाबत आवश्यक सबूत संलग्न किए जाएं। नियम 3(ख) और (ग) निम्न प्रकार से हैं :—

'3. नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं—कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख को :—

(क) .. .. ..... ..... .. ..... .... ..... .....

(ख) वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो, या

(ग) कम से कम 10 वर्ष के लिए ·

(1) वह न्यायिक सेवा का सदस्य न रहा हो; या

(2) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन उसने ऐसा पद धारण न किया हो जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात विधि के विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो; या

(3) किसी सशस्त्र बल के जज एडवोकेट जनरल के विभाग या विधि विभाग मे उसने कोई पद धारण न किया हो।'

[फा. सं 5(98)/2000-एनसी]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**पाद टिप्पण :** मूल नियम का. नि. आ संख्या 324, तारीख 14-2-1956 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का नि 370(अ) तारीख 8-7-1997, सा का नि 547(अ) तारीख 31-8-1998, सा का.नि. 17(अ) तारीख 5-1-2000, सा.का नि. 262(अ) तारीख 28-3-2000 और सा का.नि 630(अ) तारीख 21-7-2000 द्वारा किए गए थे।

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

### (Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2001

**G.S.R. 172 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely —

1 (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Notaries Rules, 1956, in rule 4, sub-rule (2) for Form I and Form II, the following Forms shall be substituted, namely —

'FORM-I

MEMORIAL

[Rule 4 (2)]

****

1 Name of the applicant

2 Father's /Husband's name

3 Date of Birth

4 Whether SC/ST/OBC/General

5 Address (residence)

Pin

Telephone Fax E-Mail

Address (Office)

Pin

Telephone Fax E-Mail

PHOTOGRAPH

6. Educational Qualifications (Please attach attested photocopies) .....

7. Enrolment number & date (Please attach attested photocopies) .....

8. Practising in : .....

   Civil Side : .....

   Criminal Side : .....

   Taxation : .....

   Revenue Courts : .....

9. Whether income tax assessee : .....

10. The memorial of (name of the applicant in block letters) showeth .....

    1. that the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

    2. that the memorialist resides in .....(here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards of ..... (state how long);

    3. that the number of notaries practising in the local area is insufficient for the requirements thereof (the grounds of the statement should be added);

    4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months.

The memorialist, therefore, prays that the government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 to practise in ..... (here state the name of the local area).

Dated .....day of .....20..... Signature of applicant

| Name and address of signatories | Profession | Name and address of the firm/organisation | Signature with seal |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Note : Under rule 4(3) the memorial should be countersigned by a Magistrate, a manager of a Nationalised Bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where he intends to practise as a notary.

(FORM II)

[Rule 4(2)]

1. Name of the applicant : .....

2. Father's/Husband's name : .....

3. Date of Birth : .....

4. Whether SC/ST/OBC/General : .....

5. Address (residence) : .....

.....

PIN : .....

PHOTOGRAPH

Telephone..............Fax......................E-Mail..............................................

Address (office) :..............................................

PIN :..............................................

Telephone..............Fax......................E-Mail..............................................

6. Educational qualifications..............................................

..............................................

7. Date of joining government service..............................................

8. Date of retirement..............................................

9. Post held at the time of retirement..............................................

10. Area, where the memorialist intends to practice as Notary..............................................

Dated........day of........20...... Signature of applicant

Note : Necessary proofs about eligibility under rule 3(b) and (c) of the Notaries Rules, 1956 is to be attached. Rule 3(b) and (c) is as follows :—

"3 Qualifications for appointment as a notary—No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—

(a) ——————————————

(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or

(c) he had at least for ten years,—

(i) been a member of Judicial Service; or

(ii) held an ofice under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or

(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of an armed force."

[F. No. 5(98)2000-NC]

BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy.

**Footnote.**—The principal rules were notified, vide SRO 324 dated 14-02-1956 and subsequently amended by GSR 370(E) dated 08-07-1997, GSR 547(E) dated 31-08-1998, GSR 17(E) dated 05-01-2000, GSR 262(E) dated 28-03-2000 and GSR 630(E) dated 21-07-2000.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2001/चैत्र 2, 1923

No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2001/CHAITRA 2, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2001

**का.आ. 260 (अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सतीश चन्द्र गुप्ता (कलियार) के नाम को नोटरी के रजिस्टर से हटा दिया है और उक्त नाम के हटाए जाने को, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम (13) के निबंधनों के अनुसार अधिसूचित किया जाता है।

[सं. 5(98)/96-न्या./रजि. सं.-690]

सुश्री जोया हडके, सक्षम प्राधिकारी और सहायक विधि सलाहकार

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2001

**S.O. 260(E).**— In exercise of the power conferred by section 10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government has removed the name of Shri Satish Chandra Gupta (Kaliyar) from the Register of Notaries and the said removal is hereby notified in terms of sub-rule (13) of rule 13 of the Notaries Rules, 1956.

[F. No. 5(98)/96-Judl./Regd. No.-690]

MS. ZOYA HADKE, Competent Authority and Asstt. Legal Adviser.

921 GI/2001

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325 ] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2001/आषाढ़ 5, 1923

No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2001/ASADHA 5, 1923

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2001

**सा.का.नि. 460 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (तृतीय संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 में, अनुसूची के स्तम्भ (1) में "दिल्ली" से संबंधित क्र. सं. 29 के सामने स्तम्भ (2) और (3) में दर्ज आंकड़ों "225" और "225" के स्थान पर क्रमशः "325" और "325" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2000-एन.सी.]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**टिप्पण :-** मूल नियम का. नि. आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001 द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2001

**G.S.R. 460(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in Column (1), against serial number 29 relating to 'Delhi', in Columns (2) and (3), for the figures "225" and "225", the figures "325" and "325" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2000-NC]

BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy. & Legal Adviser

**Note :-** The principal rules were published *vide* S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended *vide* G.S.R. 370 (E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547 (E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17 (E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262 (E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630 (E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172 (E) dated the 12th March, 2001 and G.S.R. 330 (E) dated the 9th May, 2001.



Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268 ] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2003/ज्येष्ठ 19, 1925
No. 268] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2003/JYAISTHA 19, 1925

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2003

सा०का०नि० 467(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 में, उनसे संलग्न फार्म IIख में, "सचिव, भारत सरकार/ · · · · (राज्य का नाम) सरकार" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "भारत सरकार के संयुक्त सचिव/ · · · · (राज्य का नाम) सरकार के सचिव" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा० सं० 5(187)/2003-एन०सी०]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम का०नि०आ० 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा०का०नि० 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा०का०नि० 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा०का०नि० 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा०का०नि० 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा०का०नि० 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा०का०नि० 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा०का०नि० 330(अ), तारीख 9 मई, 2001 और सा०का०नि० 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 द्वारा किए गए।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2003

**G.S.R. 467(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words and brackets "Secretary to the Government of India/Government of ..... (Name of the State)", the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of ..... (Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. 5(187)/2003-NC]

BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* S.R.O. 324, dated 14-2-1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated 8-7-1997, G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, G.S.R. 17(E), dated 5-1-2000, G.S.R. 262(E), dated 28-3-2000, G.S.R. 630(E), dated 21-7-2000, G.S.R. 172(E), dated 12-3-2001, G.S.R. 330(E), dated 9-5-2001 and G.S.R. 460(E), dated 25-6-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2006/श्रावण 2, 1928
No. 333] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2006/SRAVANA 2, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2006

**सा.का.नि. 441(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 में उससे संलग्न प्ररूप II[ख में "भारत सरकार के संयुक्त सचिव,.....(राज्य का नाम) सरकार के सचिव" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अपर सचिव, भारत सरकार/सचिव,.....(राज्य का नाम) सरकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5 (187)/2003-एन.सी.]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8-7-1997, सं. सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31-8-1998, सं. सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5-01-2000, सं. सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28-3-2000, सं. सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21-7-2000, सं. सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12-3-2001, सं. सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9-5-2001, सं. सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25-6-2001, और सं. सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9-6-2003 द्वारा संशोधन किए गए ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2006

**G.S.R. 441 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952, (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of.....(Name of the State)," the words and brackets "Additional Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of .....(Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

**Note :** —The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by No. G.S.R. 370(E), dated 08-07-1997, No. G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, No. G.S.R. 17(E), dated 05-01-2000, No. G.S.R. 262(E), dated 28-03-2000, No. G.S.R. 630(E), dated 21-07-2000, No. G.S.R. 172(E), dated 12-03-2001, No. G.S.R. 330(E), dated 09-05-2001, No. G.S.R. 460(E), dated 25-06-2001, and No. G.S.R. 467(E), dated 09-06-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2007/माघ 20, 1928
No. 58] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007/MAGHA 20, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2007

**सा.का.नि. 73(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 में, उससे संलग्न फार्म IIख में, "अपर सचिव, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(187)/2003-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण :–मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 और सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003 तथा सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006 द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2007

**G.S.R. 73(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officical Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words "Additional Secretary to the Government of India" the words "Joint Secretary to the Government of India" shall be substituted.

[F. No. 5(187)/2003-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note :**—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by the following numbers :—

(1) No. G.S.R. 370(E), dated 8-7-1997,
(2) No. G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998,
(3) No. G.S.R. 17(E), dated 5-1-2000,
(4) No. G.S.R. 262(E), dated 28-3-2000,
(5) No. G.S.R. 630(E), dated 21-7-2000,
(6) No. G.S.R. 172(E), dated 12-3-2001,
(7) No. G.S.R. 330(E), dated 9-5-2001,
(8) No. G.S.R. 460(E), dated 25-6-2001,
(9) No. G.S.R. 467(E), dated 9-6-2003, and
(10) No. G.S.R. 441(E), dated 24-7-2006.



Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2007/माघ 26, 1928
No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007/MAGHA 26, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2007

**सा.का.नि. 86(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची के स्तम्भ (1) में, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्रम सं. 13 के सामने स्तम्भ (3) में "1,750", अंकों के स्थान पर "2625" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2001-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006 एवं सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007 द्वारा संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2007

**G.S.R. 86(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in column (1), against serial number 13 relating to Uttar Pradesh, in column (3), for the figures "1,750", the figures "2625" shall be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC].

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E), dated the 24th August, 2006 and G.S.R. 73(E), dated the 9th February, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2007/वैशाख 11, 1929

No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2007/VAISAKHA 11, 1929

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2007

**सा.का.नि. 319(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची के स्तम्भ (1) में गुजरात और राजस्थान से संबंधित क्र. सं. 04 और 12 के सामने स्तम्भ (3) में "625" और "800" अंकों के स्थान पर क्रमशः "938" और "1200" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2001-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** :–मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006 और सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2007

**G.S.R. 319(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2007.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries rules, 1956, in the Schedule, in column (1), against serial numbers 04 and 12 relating to Gujarat and Rajasthan, in column (3), for the figures "625", the figures "800" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note :**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001, and G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E), dated 9th June, 2003, G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006 and G.S.R. 501(E), dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E), dated the 9th, February, 2007 and G.S.R. 86(E), dated the 14th February, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2007/कार्तिक 9, 1929
No. 478] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2007/KARTIKA 9, 1929

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

**सा.का.नि. 686(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (चौथा संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8ख. व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीकरण—नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए व्यवसाय के प्रमाण-पत्र का, विहित फीस के संदाय पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा । व्यवसाय के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन समुचित सरकार को उसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान की तारीख से तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु समुचित सरकार, आवेदन में कथित कारणों पर विचार करने के पश्चात् उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व व्यवसाय के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने की शर्त को शिथिल कर सकेगी ।"।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, स्तम्भ (1) में,—

(i) "चंडीगढ़" से संबंधित क्रम संख्यांक 35 के सामने स्तम्भ (2) में, "38" अंक के स्थान पर "57" अंक रखा जाएगा ।

(ii) "केरल और कर्नाटक" से संबंधित क्रम संख्यांक 5 और 9 के सामने स्तम्भ (3) में, "563 और 675" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमश: "845 और 1013" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. (271)/2000-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख

25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007 द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2007

**G.S.R. 686(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Fourth Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 8A, the following rules shall be inserted, namely :—

"8B. Renewal of Certificate of Practice.—The certificate of practice issued under sub-rule (4) of rule 8 may be renewed for a further period of five years on payment of prescribed fee. An application for renewal of Certificate of Practice shall be submitted to the appropriate Government before three months from the date of expiry of its period of validity :

Provided that the appropriate Government may, after considering the reasons stated in the application, relax the condition of submission of application for renewal of certificate of practice before the above specified period.".

3. In the Schedule to the said rules, in column (1),—

(i) against serial number 35 relating to 'Chandigarh', in column (2), for the figure "38", the figure "57" shall be substituted.

(ii) against serial number 5 and 9 relating to 'Kerala and Karnataka', in column (3), for the figures "563 and 675", the figures "845 and 1013" shall respectively be substituted.

[F. No. (271 )/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note :** The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number SRO 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by GSR 370(E), dated the 8th July, 1997, GSR 547(E), dated the 31st August, 1998, GSR 17(E), dated the 5th January, 2000, GSR 262(E), dated the 28th March, 2000, GSR 630(E), dated the 21st July, 2000, GSR 172(E), dated the 12th March, 2001, GSR 330(E), dated the 9th May, 2001 GSR 460(E), dated the 25th June, 2001 GSR 464(E), dated the 9th June, 2003, GSR 464(E), dated the 9th June, 2003, GSR 296(E), dated the 19th May, 2006, GSR 501(E), dated the 24th August, 2006, GSR 73(E), dated the 9th February, 2007, GSR 86(E), dated the 14th February, 2007 and GSR 319(E), dated the 1st May, 2007 read with GSR 330(E), dated the 8th May, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

37

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2008/माघ 3, 1929
No. 40] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2008/MAGHA 3, 1929

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2008

**सा.का.नि. 51(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची के स्तंभ 1 में 'महाराष्ट्र और पंजाब', से संबंधित क्रम सं. 8 और क्रम सं. 11 के सामने स्तंभ 2 में "875 और 638", अंकों के स्थान पर क्रमशः "1313 और 957" अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(271)/2000-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ) तारीख 1 मई, 2007 और सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2008

**G.S.R. 51(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in column (1), against serial numbers 8 and 11 relating to 'Maharashtra and Punjab', in column (2), for the figures "875 and 638", the figures "1313 and 957" shall respectively be substituted.

[F. No. 5 (271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**NOTE:** The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E) dated the 25th June, 2001 G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E), dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E), dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E), dated the 14th February, 2007 and G.S.R. 319(E), dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E), dated the 8th May, 2007, and G.S.R. 686(E), dated the 31st October, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2008/भाद्र 12, 1930
No. 483] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2008/BHADRA 12, 1930

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

**सा.का.नि. 636(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ (1) में, 'केरल' से संबंधित क्रम संख्यांक '5' के सामने स्तंभ (2) में "375" अंक के स्थान पर "563" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ (1) में, 'गुजरात और जम्मू-कश्मीर' से संबंधित क्रम संख्यांक '4 और 15' के सामने, स्तंभ (3) में "938 और 350" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः "1407 और 525" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(271)/2000-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई 2001, सा.का.नि. 460 (अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007 और सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23 जनवरी, 2008 द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2008

**G.S.R. 636(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule,—

   (i) in column (1), against serial number '5' relating to 'Kerala', in column (2), for the figures "375", the figures "563" shall be substituted ;

   (ii) in column (1), against serial numbers '4 and 15' relating to 'Gujarat and Jammu & Kashmir', in column (3), for the figures and word "938 and 350", the figures and word "1407 and 525" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note:**—The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547 (E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630 (E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296 (E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686 (E) dated the 31st October, 2007 and G.S.R. 51(E) dated 23rd January, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2008/कार्तिक 12, 1930
No. 575] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2008/KARTIKA 12, 1930

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची के सामने (1) में–

(i) स्तंभ (2) में, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और चंडीगढ़ से संबंधित क्रम संख्यांक 4, 8, 17 और 35 के सामने "625, 1313, 713, और 57" अंकों के स्थान पर क्रमशः "938, 1970, 1070 और 86" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ (3) में, हिमाचल प्रदेश और गोवा से संबंधित क्रम संख्यांक 18 और 25 के सामने "300 और 50" अंकों के स्थान पर क्रमशः "450 और 250" अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(271)/2000-एन सी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ) तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा..का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2008 और सा.का.नि. 636(अ), तारीख 3 सितंबर, 2008 द्वारा किए गए ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2008

G.S.R. 764(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely : —

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in column (1),

(i) against serial numbers 4, 8, 17 and 35 relating to Gujarat, Maharashtra, Haryana, and Chandigarh, in column (2), for the figures "625, 1313, 713 and 57", the figures "938, 1970, 1070 and 86" shall respectively be substituted;

(ii) against serial numbers 18 and 25 relating to Himachal Pradesh and Goa, in column (3), for the figures "300 and 50", the figures "450 and 250" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

**Note** : The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E), dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E), dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E), dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E), dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E), dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E), dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51(E) dated the 23rd January, 2008, and G.S.R. 636(E), dated the 3rd September, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930
No. 98] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

**सा.का.नि. 114(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये 1 मार्च, 2009 को प्रवृत होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई व्यक्ति नोटेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई आवेदन उस न्यायालय या अधिकरण के संबद्ध जिला न्यायाधीश या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जहां वह किसी अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है, एक ज्ञापन प्ररूप में, समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सक्षम प्राधिकारी" कहा गया है) को जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अभिहित करे, संबोधित करके, आवेदन कर सकेगा ।";

3. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन सभी बाबत पूर्ण नहीं है या आवेदक नियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं रखता है या यह कि नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक का कोई पूर्व आवेदन इस आवेदन की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर अस्वीकृत कर दिया गया था इसे संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।";

4. उक्त नियमों के नियम 7 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियत समय के भीतर आवेदक को आक्षेपों यदि कोई हों, के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देने के पश्चात् समुचित सरकार को यह सिफारिश करते हुए कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात किया जाए, रिपोर्ट देगा ।";

5. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"7क. साक्षात्कार बोर्ड का गठन.—(1) समुचित सरकार अनुज्ञात करती है कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए कहा जाए, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सूचित करेगा कि वह साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नोटेरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की सक्षमता का निर्णय करने के लिए नियत तारीख, समय और स्थान पर उपसंजात होगा । साक्षात्कार बोर्ड समुचित सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार द्वारा विधिक कार्य से संबंधित अपने अधिकारियों में से एक तीन सदस्यीय

साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा । साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा ।

7ख. संक्रमणकालीन उपबंध.—(1) 28 फरवरी, 2009 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी ज्ञापन और वे जो लंबित हैं, पर कार्रवाई/परीक्षा नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

(2) नए ज्ञापन केवल 1 जुलाई, 2009 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किए जाएंगे ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में "सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समुचित सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी -", शब्दों के स्थान पर "साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर, समुचित सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी -" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(271)2000-एन.सी.]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172 (अ) तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464 (अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007 सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008 और सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
### (Department of Legal Affairs)
### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2009

**G.S.R. 114(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1 (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 2009.

2. In rule 4 of the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) a person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called "the applicant"), through the concerned District Judge or the Presiding Officer of the Court or Tribunal where he practises as an Advocate, in the Form of memorial addressed to such officer or authority (hereinafter referred to as the "competent authority") of the appropriate Government as that Government may, by notification in the Official Gazette, designate in this behalf.";

3. In rule 6 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) the competent authority shall examine every application received by him and if he is satisfied that the application is not complete in all respects or the applicant does not possess the qualifications specified in rule 3, or that any previous application of the applicant for appointment as a notary was rejected within six months before the date of the application, shall reject it summarily and inform the applicant accordingly.";

4. In rule 7 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(1) the competent authority shall, after holding such inquiry as he thinks fit and after giving the applicant an opportunity of making his representations against the objections, if any, received within the time fixed under sub-rule (2) of rule 6, make a report to the appropriate Government recommending that the applicant may be allowed to appear before the Interview Board.";

5. After rule 7 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"7 A. Constitution of the Interview Board.—(1) If the appropriate Government allows that the applicant may be asked to appear before the Interview Board, the competent authority shall inform the applicant to appear before the Interview Board, on the date, time and place fixed, to judge the competency of the applicant for being appointed as a Notary. The Interview Board shall submit its recommendations to the appropriate Government.

(2) For the said purpose, a three members Interview Board shall be constituted by the

appropriate Government from amongst its officers dealing with legal matters. The Chairperson of the Interview Board shall not be an officer below the rank of Joint Secretary of that Government.

7B. Transitional provision.—(1) All the memorials received by the Competent Authority till 28th February, 2009 and which are pending shall be processed/examined in accordance with the provisions of the rules as amended by the Notaries (Amendment) Rules, 2009.;

(2) The fresh memorials shall only be submitted on or after 1 st July, 2009."

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1), for the words, "On receipt of the report of the Competent Authority the appropriate Government shall consider the report and shall —", the words, "On receipt of the recommendations of the interview board the appropriate Government shall consider the recommendation and shall—."

[F. No. 5 (271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

Note:—The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, GSR 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E) dated the 9th June, 2003, GSR 464(E) dated the 9th June, 2003,G.S.R. 296(E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R.73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E) dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51 (E) dated the 23rd January, 2008, G.S.R. 636(E) dated the 3rd September, 2008, and G.S.R. 764(E) dated the 3rd November, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931
No. 675] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

**सा.का.नि. 843(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 और इससे उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "भारत सरकार का अपर सचिव/सरकार का सचिव..... (राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी (नोटरी) भारत सरकार/सरकार का सचिव..... (राज्य का नाम)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(187)2003-एन.सी.]

सतीश चंद्र, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 24 जुलाई 2009, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 24 फरवरी 2009, और सा.का.नि. 700 (अ) तारीख 24 सितम्बर 2009, द्वारा संशोधित किए गए थे ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2009

**G.S.R. 843(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 in Form IIB appended thereto, for the words and brackets "Additional Secretary

to the Government of India/Secretary to the Government of ..... ( Name of the State)," the words and brackets "Competent Authority (Notaries), Government of India/ Secretary to the Government of ..... (Name of the State)" shall be substituted.

[F.No. 5(187)/2003-NC]

SATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note :— The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 467(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 441(E) dated the 24th July, 2009, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R.73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E) dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51 (E) dated the 23rd January, 2008, G.S.R. 636(E) dated the 3rd September, 2008, G.S.R. 764(E) dated the 3rd November, 2008, G.S.R. 114(E) dated the 24th February, 2009 and G.S.R. 700(E) dated the 24th September, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2012/माघ 5, 1933
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2012/MAGHA 5, 1933

## विधि और न्याय मन्त्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2012

**सा.का.नि. 48(अ)**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी नियम, 1956 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के विधि और न्याय मन्त्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्याक सा का नि 820(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2011 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियो के संबंध में उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में श्री इन्द्र कुमार, अपर विधि सलाहकार, को अधिकारी के रूप में अभिहित करती है ।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 5(140)/07-एनसी]

डी.आर. मीना, सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2012

**G.S.R. 48(E).**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Notaries Rules, 1956 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) number G.S.R. 820(E), dated the 17th November, 2011, the Central Government hereby designates Sh. Inder Kumar, Additional Legal Adviser to the Government of India, in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice as the officer for the purposes of the said rules in relation to notaries to be appointed by the Central Government.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5(140)/07-NC]

D.R. MEENA, Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2012

**सा.का.नि. 49(अ)**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 से उपाबद्ध प्ररूप 2ख मे "संयुक्त सचिव, भारत सरकार/सचिव ..... (राज्य का नाम) सरकार" शब्दो और कोष्ठकों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी (नोटेरी), भारत सरकार/सचिव (राज्य का नाम) सरकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा स 5(187)/2003-एनसी]

डी आर मीना, सचिव

**टिप्पण:**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636(अ), तारीख 3 सितंम्बर, 2008, सा.का.नि. 764(अ), तारीख 3 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 114(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009, सा.का.नि. 700(अ), तारीख 24-9-2009, सा.का.नि. 843(अ), तारीख 25-11-2009 और सा.का.नि. 808(अ), तारीख 14-11-2011 द्वारा संशोधित किए गए।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2012

**G.S.R. 49(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1 (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In Form II B appended to the Notaries Rules, 1956 for the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of ..... (Name of the State)", the words and brackets "Competent Authority (Notaries), Government of India /Secretary to the Government of ..... (Name of the State)," shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

D.R.MEENA, Secy.

**NOTE:**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated 08-07-1997, G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, G.S.R. 17(E), dated 05-01-2000, G.S.R. 262(E), dated 28-03-2000, G.S.R. 630(E), dated 21-07-2000, G.S.R. 172(E), dated 12-03-2001, G.S.R. 330(E), dated 09-05-2001, G.S.R. 460(E), dated 25-06-2001, G.S.R. 467(E), dated 09-06-2003, G.S.R. 296(E), dated 19-05-2006, G.S.R. 441(E), dated 24-07-2006, G.S.R. 501(E), dated 24-08-2006, G.S.R. 73(E), dated 09-02-2007, G.S.R. 86(E), dated 14-02-2007, G.S.R. 319(E), dated 01-05-2007 read with G.S.R. 330(E), dated 08-05-2007, G.S.R. 686(E), dated 31-10-2007, G.S.R. 51(E), dated 23-01-2008, G.S.R. 636(E), dated 03-09-2008, G.S.R. 764(E), dated 03-11-2008, G.S.R. 114(E), dated 24-02-2009, G.S.R. 700(E) dated 24-09-2009, G.S.R. 843(E), dated 25-11-2009 and G.S.R. 808(E), dated 14-11-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934

No. 408] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

**सा.का.नि. 632(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 से उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "सक्षम प्राधिकारी (नोटरी) भारत सरकार/सरकार का सचिव.....(राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार/सचिव,.....(राज्य का नाम) सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(187)/2003-एनसी]

टी. एन. तिवारी, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

**टिप्पण** :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 764(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009, सा.का.नि. 700(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2009 और सा.का.नि. 843(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 808(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2011 और सा.का.नि. 49(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2012

**G.S.R. 632(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB, for the words and brackets "Competent Authority (Notaries), Government of India/Secretary to the Government of.....(Name of the State)", the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of .....(Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

T. N. TIWARI, Jt. Secy. and Legal Adviser

**Note :**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated 08-07-1997, G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, G.S.R. 17(E), dated 05-01-2000, G.S.R. 262(E), dated 28-03-2000, G.S.R. 630(E), dated 21-07-2000, G.S.R. 172(E), dated 12-03-2001, G.S.R. 330(E), dated 09-05-2001, G.S.R. 460(E), dated 25-06-2001, G.S.R. 467(E), dated 09-06-2003, G.S.R. 296(E), dated 19-05-2006, G.S.R. 441(E), dated 24-07-2006, G.S.R. 501(E), dated 24-08-2006, G.S.R. 73(E), dated 09-02-2007, G.S.R. 86(E), dated 14-02-2007, G.S.R. 319(E), dated 01-05-2007 read with G.S.R. 330(E), dated 08-05-2007, G.S.R. 686(E), dated 31-10-2007, G.S.R. 51(E), dated 23-01-2008, G.S.R. 636(E), dated 03-09-2008, G.S.R. 764(E), dated 03-11-2008, G.S.R. 114(E), dated 24-02-2009, G.S.R. 700(E), dated 24-09-2009 and G.S.R. 843(E), dated 25-11-2009, G.S.R. 808(E), dated 14-11-2011 and G.S.R. 49(E), dated 25-01-2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 106] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

**सा.का.नि. 150 (अ).**—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 8-ख में, "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 9 में, खंड (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

| | |
|---|---|
| " (क) व्यवसाय का प्रमाणपत्र जारी करना | 2000 रु0 |
| (ख) व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार | 1500 रु0 |
| (ग व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीकरण | 1000 रु0 |
| (घ) व्यवसाय के प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना | 750 रु0" |

4. मूल नियमों के नियम 10 में—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) प्रत्येक नोटरी नीचे वर्णित दरों से अनधिक शुल्क प्रभारित कर सकेगा, अर्थात:—

| | |
|---|---|
| (क) एक लिखत के अनादरण प्रमाणन के लिए: | |
| यदि लिखत की राशि 10,000 रु0 से अधिक न हो | 50 रु0 |
| यदि यह 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 25,000 रु0 से अनधिक है | 100 रु0 |
| यदि यह 25,000 रु0 से अधिक है किंतु 50,000 रु0 से अनधिक है | 150 रु0 |
| यदि यह 50,000 रु0 से अधिक है | 200 रु0 |
| (ख) किसी लिखत के प्रसाक्ष्यन के लिए | |
| यदि लिखत की राशि 10,000 रु0 से अनधिक है | 50 रु0 |
| यदि यह 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 25,000 रु0 से अनधिक है | 100 रु0 |
| यदि यह 25,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,00,000 रु0 से अनधिक है | 150 रु0 |
| यदि यह 1,00,000 रु0 से अधिक है | 200 रु0 |
| (ग) आदरण के लिए संदाय की किसी घोषणा को अभिलिखित करने के लिए | 100 रु0 |
| (घ) प्रसाक्ष्य की दूसरी प्रति | मूल प्रति के प्रभार का आधा |
| (ड.) किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए | 35 रु0 |
| (च) किसी वचन-पत्र, हुंडी या विनिमय-पत्र को स्वीकृति या भुगतान के लिए या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए | 50 रु0 |
| (छ) किसी व्यक्ति को शपथ दिलवाने या उससे शपथपत्र लेने के लिए | 35 रु0 |
| (ज) किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी स्थान में लागू होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में ऐसी लिखत तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है | 200 रु0 |
| (झ) किसी अन्य देश में या भारत के बाहर किसी स्थान में प्रभावी होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है, किसी ऐसी लिखत के अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन के लिए | 200 रु0 |
| (ञ) किसी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद और अनुवाद का सत्यापन करने के लिए | 100 रु0 |
| (ट) पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज या अन्य वाणिज्यिक मामले से संबंधित प्रसाक्ष्य के अनादरण प्रमाणन और उसे लेखबद्ध करने के लिए: | 200 रु0 |
| (ठ) मूल की सत्य प्रतिलिपियों के रूप में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए | 10 रु0 प्रतिपृष्ठ न्यूनतम 20 रु0 |
| (ड) किसी अन्य नोटरी कार्य के लिए: | ऐसी राशि, जो समुचित सरकार समय-समय पर नियत करे |

ख . उपनियम (3) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर, शब्द "बीस रुपये" रखे जाएंगे ।

**1.** मूल नियमों के नियम 12 में, अंत में दी गई मोहर में, "नाम ..... , क्षेत्र ....., रजि0 सं0..... "शब्दों के स्थान पर, "नाम ....., क्षेत्र....., पंजी0सं0.....,समाप्ति की तारीख..... "शब्द रखे जाएंगे ।

[ फा.सं. 5(187) /2003 -एनसी ]

आर. एस. शुक्ल, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

**नोट:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 14.02.1956 के का.नि.आ. सं. 324 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् संशोधन सा.का.नि. 370(अ.) तारीख 08.07.1997, सा.का.नि. 547(अ.) तारीख 31.08.1998, सा.का.नि. 17(अ.) तारीख 05.01.2000, सा.का.नि. 262(अ.) तारीख 28.03.2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21.07.2000, सा.का.नि. 172(अ) तारीख 12.03.2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 09.05.2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25.06.2001, सा.का.नि. 467 (अ) तारीख 09. 06.2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19.05.2006, सा.का.नि. 441 (अ) तारीख 24.07.2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24.08.2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 09.02.2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14.02.2007, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 08.05.2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 01.05.2007, सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31.10.2007, सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23.01.2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 03.09.2008, सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 03.11.2008, सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 24.02.2009, सा.का.नि. 700 (अ) तारीख 24.09.2009 और सा.का.नि. 843 (अ) तारीख 25.11.2009, सा.का.नि. 49 (अ) तारीख 25.01.2012, सा.का.नि. 632 (अ) तारीख 14.08.2012 और सा.का.नि. 662 (अ) तारीख 31.08.2012 के द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

**G.S.R. 150 (E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956(hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 8B, for the words ‘‘three months”, the words “six months” shall be substituted.

3. In the principal Rules, in rule 9, for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| “ (a) | issue of certificate of practice | — | ₹ 2000 |
| (b) | extension of area of practice | — | ₹ 1500 |
| (c) | renewal of certificate of practice | — | ₹ 1000 |
| (d) | issue of a duplicate certificate of practice | — | ₹ 750 ” |

4. In the principal Rules, in rule 10 –

(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely :—

(a) For noting an instrument

| | | |
|---|---|---|
| if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000 | — | ₹ 50 |
| If it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | — | ₹ 100 |
| If it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 50,000 | — | ₹ 150 |
| If it exceeds rupees 50,000 | — | ₹ 200 |

| | | |
|---|---|---|
| (b) For protesting an instrument— | | |
| If the amount of the instrument does not | | |
| If it exceed rupees 10,000 | — | ₹ 50 |
| If it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000 | — | ₹ 100 |
| if it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 1,00,000 | — | ₹ 150 |
| if it exceeds rupees 1,00,000 | — | ₹ 200 |
| (c) For recording a declaration of payment for honour | — | ₹ 100 |
| (d) Duplicate protests | — | half the charge of original |
| (e) For verifying, authenticating, certifying or Attesting the execution of any instrument | — | ₹ 35 |
| (f) For presenting any promissory note, hundi Or bill of exchange for acceptance or payment or demanding better security | — | ₹ 50 |
| (g) For administering oath to, or taking Affidavit from any person | — | ₹ 35 |
| (h) For preparing any instrument intended to Take effect in any country or place outside India in such form, and language as may Conform to the law of the place where such deed is intended to operate | — | ₹ 200 |
| (i) For attesting or authenticating any Instrument to take effect in any country or Place outside India in such form and Language as may conform to the law of The place where such deed is intended to Operate. | — | ₹ 200 |
| (j) For translating and verifying the Translation of any document from one Language to another | — | ₹ 100 |
| (k) For noting and drawing up ship's Protest, boat protest or protest Relating to demurrage and other commercial Matter | — | ₹ 200 |

| | | |
|---|---|---|
| (l) For certifying copies of documents as | | |
| True copies of the original | — | ₹ 10 per page<br>minimum ₹ 20 |
| (m) for any other notarial act | — | such sum as the Appropriate Government may fix from time to time.”; |

B. in sub-rule (3), for the words “rupees five”, the words “rupees twenty” shall be substituted.

5. In rule 12 of the principal Rules, in the Seal given at the end, for the words “ Name…., Area……,Regn. No……”, the words “ Name…., Area……,Regn. No…… Expiry Date…. …” shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

R. S. SHUKLA, Jt. Secy. & Legal Adviser

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and subsequently amended by G.S.R. 370 (E), dated 08.07.1997, G.S.R. 547 (E), dated 31.8.1998, G.S.R.17 (E), dated 05.01.2000, G.S.R.262 (E), dated 28.03.2000, G.S.R.630 (E), dated 21.07.2000, G.S.R.172 (E), dated 12.03.2001, G.S.R. 330 (E), dated 09.05.2001, G.S.R. 460 (E), dated 25.06.2001, G.S.R. 467 (E), dated 09.06.2003, G.S.R. 296 (E), dated 19.05.2006, G.S.R. 441 (E), dated 24.07.2006, G.S.R. 501(E) dated 24.08.2006, G.S.R. 73 (E), dated 09.02.2007, G.S.R. 86 (E), dated 14.02.2007, G.S.R. 319 (E) dated 01.05.2007 read with G.S.R. 330 (E) dated 08.05.2007, G.S.R. 686 (E), dated 31.10.2007, G.S.R. 51 (E), dated 23.01.2008, G.S.R. 636 (E), dated 03.09.2008, G.S.R. 764 (E) dated 03.11.2008, G.S.R.114 (E) dated 24.02.2009, G.S.R.700 (E) dated 24.09.2009 and G.S.R. 843 (E) dated 25.11.2009, G.S.R. 49(E) , dated 25.01.2012, G.S.R. 632 (E) dated 14.08.2012 and G.S.R. 662 (E) dated 31.08.2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938
No. 273] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि. 429(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 के उपनियम (3) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्रवर्ग (ख) और प्रवर्ग (ग) के संबंध में यदि प्ररूप 2 में अभ्यावेदन सही पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी नोटेरी के रूप में सीधे व्यवसाय का प्रमाणपत्र साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्रदान करते हुए जारी कर सकेगा" ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु समुचित सरकार साक्षात्कार आयोजित करने की शर्त से कारणों को लेखबद्ध करते हुए अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी" ।

4. नियम 8 में उपनियम (4क) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि संबंधित संघ राज्यक्षेत्र या राज्य से कोटा में वृद्धि का अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर निम्नलिखित मानदंड के अनुसार विचार किया जाएगा :--

(क) यदि संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिलों या तहसील या तालुका में वृद्धि हुई है ;"।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (1) में :--

(i) 'आंध्र प्रदेश' से संबंधित क्रम सं. '1' के सामने क्रमश: स्तंभ (2) में '575' अंकों के स्थान पर '865' अंक और स्तंभ (3) में '863' अंकों के स्थान पर '1306' अंक रखे जाएंगे ;

(ii) 'बिहार' से संबंधित क्रम सं. '2' के सामने, स्तंभ (3) में '925' अंकों के स्थान पर '1925' अंक रखे जाएंगे ;

(iii) 'गुजरात' से संबंधित क्रम सं. '4' के सामने, स्तंभ (2) में '1173' अंकों के स्थान पर '1760' अंक रखे जाएंगे ;

(iv) 'केरल' से संबंधित क्रम सं. '5' के सामने, स्तंभ (2) में '704' अंकों के स्थान पर '1000' अंक रखे जाएंगे ;

(v) 'मध्य प्रदेश' से संबंधित क्रम सं. '6' के सामने, स्तंभ (3) में '1668' अंकों के स्थान पर '2500' अंक रखे जाएंगे ;

(vi) 'तमिलनाडु' से संबंधित क्रम सं. '7' के सामने क्रमश: स्तंभ (2) में '907' अंकों के स्थान पर '1360' अंक और स्तंभ (3) में '1088' अंकों के स्थान पर '2500' अंक रखे जाएंगे ;

(vii) 'महाराष्ट्र' से संबंधित क्रम सं. '8' के सामने, स्तंभ (3) में '2463' अंकों के स्थान पर '3700' अंक रखे जाएंगे ;

(viii) 'कर्नाटक' से संबंधित क्रम सं. '9' के सामने, स्तंभ (3) में '844' अंकों के स्थान पर '1266' अंक रखे जाएंगे ;

(ix) 'राजस्थान' से संबंधित क्रम सं. '12' के सामने क्रमश: स्तंभ (2) में '1000' अंकों के स्थान पर '1500' अंक और स्तंभ (3) में '1200' अंकों के स्थान पर '2000' अंक रखे जाएंगे ;

(x) 'पश्चिमी बंगाल' से संबंधित क्रम सं. '14' के सामने, स्तंभ (3) में '2625' अंकों के स्थान पर '3625' अंक रखे जाएंगे ;

(xi) 'छत्तीसगढ़' से संबंधित क्रम सं. '27' के सामने, स्तंभ (3) में '600' अंकों के स्थान पर '1350' अंक रखे जाएंगे ;

(xii) 'दिल्ली' से संबंधित क्रम सं. '29' के सामने, स्तंभ (3) में '610' अंकों के स्थान पर '1000' अंक रखे जाएंगे ;

[फा. सं. 15011/1/2015-एनसी]

जी.एस. यादव, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

**टिप्पण –** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.नि.आ. 324(अ), तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ) तारीख 8.7.1997, सा.का.नि. 547(अ) तारीख 31.8.1998, सा.का.नि. 17(अ) तारीख 5.1.2000, सा.का.नि. 262(अ) तारीख 28.3.2000, सा.का.नि. 630(अ) तारीख 21.7.2000, सा.का.नि. 172(अ) तारीख 21.3.2001, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 9.5.2001, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 25.6.2001, सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9.6.2003, सा.का.नि. 296(अ) तारीख 19.5.2006, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 24.7.2006, सा.का.नि. 501(अ) तारीख 24.8.2006, सा.का.नि. 73(अ) तारीख 9.2.2007, सा.का.नि. 86(अ) तारीख 14.2.2007, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 8.5.2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ) तारीख 1.5.2007, सा.का.नि. 686(अ) तारीख 31.10.2007, सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23.1.2008, सा.का.नि. 636(अ) तारीख 3.9.2008, सा.का.नि. 764(अ) तारीख 13.11.2008, सा.का.नि. 114(अ) तारीख 24.2.2009, सा.का.नि. 700(अ) तारीख 24.9.2009, सा.का.नि. 843(अ) तारीख 25.11.2009, सा.का.नि. 808(अ) तारीख 14.11.2011, सा.का.नि. 49(अ) तारीख 25.1.2012, सा.का.नि. 632(अ) तारीख 14.8.2012, सा.का.नि. 662(अ) तारीख 31.8.2012 और सा.का.नि. 150(अ) तारीख 14.3.2014 ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2016

**G.S.R. 429(E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :-

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules 1956, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, in sub-rule (3), after clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in respect of categories (b) and (c), if the memorial in Form II is found to be in order, the competent authority may issue certificate of practice as Notary directly by exempting appearance before the Interview Board".

3. In the said rules, in rule 7A, after sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the appropriate Government may dispense with the condition of holding of interviews for which reasons are to be recorded in writing".

4. In rule 8, in sub-rule, (4A) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in case, request for enhancement of quota is received from Union Territory or the State concerned, the same shall be considered as per the following criteria:-

(a) if there is an increase in the population of the concerned State or the Union Territory;

(b) if there is increase in the number of districts or tehsil or taluka of the concerned State or Union Territory ".

5. In the said rules, in the Schedule, in column (1) :-

(i) against serial number '1' relating to 'Andhra Pradesh', in column. (2), for the figures '575', the figures '865' and in column (3), for the figures '863', the figures '1306, shall respectively be substituted;

(ii) against serial number '2' relating to 'Bihar', in column (3), for the figures '925', the figures '1925' shall be substituted;

(iii) against serial number '4' relating to Gujarat', in column (2), for the figures '1173', the figures '1760' shall be substituted;

(iv) against serial number '5' relating to 'Kerala', in column (2), for the figures '704', the figures '1000' shall be substituted;

(v) against serial number '6' relating to 'Madhya Pradesh', in column (3), for the figures '1688', the figures '2500' shall be substituted;

(vi) against serial number '7' relating to 'Tamil Nadu', in column (2), for the figures '907', the figures '1360' and in column (3), for the figures '1088', the figures '2500' shall respectively be substituted;

(vii) against serial number '8' relating to 'Maharashtra', in column (2), for the figures '2463', the figures '3700' shall be substituted;

(viii) against serial number '9' relating to 'Karnataka', in column (2), for the figures '844', the figures '1266' shall be substituted;

(ix) against serial number '12' relating to 'Rajasthan', in column (2), for the figures'1000', the figures '1500' and in column (3), for the figures '1200', the figures '2000' shall respectively be substituted;

(x) against serial number '14' relating to West Bengal, in column (3), for the figures '2625', the figures '3625' shall be substituted;

(xi) against serial number '27' relating to Chhattisgarh, in column (3), for the figures '600', the figures '1350' shall be substituted;

(xii) against serial number '29' relating to Delhi, in column (2), for the figures '610', the figures '1000' shall be substituted.

[F. No. N-15011/1/2015-NC]

G. S. YADAV, Jt. Secy. and Legal Adviser

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and subsequently amended by G.S.R. 370 (E), dated 08.07.1997, G.S.R.547 (E), dated 31.8.1998, G.S.R.17 (E), dated 05.01.2000, G.S.R. 262 (E), dated 28.03.2000, G.S.R.630 (E), dated 21.07.2000, G.S.R.172 (E), dated 12.03.2001, G.S.R. 330 (E), dated 09.05.2001, G.S.R.460 (E), dated 25.06.2001, G.S.R.467 (E), dated 09.06.2003, G.S.R.296 (E), dated 19.05.2006, G.S.R.441 (E), dated 24.07.2006, G.S.R.501 (E) dated 24.08.2006, G.S.R.73 (E), dated 09.02.2007, G.S.R.86 (E), dated 14.02.2007, G.S.R.319 (E) dated 01.05.2007 read with G.S.R.330 (E) dated 08.05.2007, G.S.R.686 (E), dated 31.10.2007, G.S.R.51 (E), dated 23.01.2008, G.S.R.636 (E), dated 03.09.2008, G.S.R.764 (E) dated 03.11.2008, G.S.R.114 (E) dated 24.02.2009, G.S.R.700 (E) dated 24.09.2009, G.S.R.843 (E) dated 25.11.2009, G.S.R. 808(E), dated 14.11.2011, G.S.R 49(E) dated 25.01.2012, G.S.R 632 (E) dated 14.08.2012, G.S.R 662 (E) dated 31.08.2012 and G.S.R 150 (E) dated 04.03.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940
No. 600] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2018

**सा.का.नि. 815(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची में,—

(i) 'गुजरात' से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (2) में '1760' अंकों के स्थान पर अंक '3000' तथा स्तंभ (3) में '1407' अंकों के स्थान पर अंक '2900' रखे जाएंगे;

(ii) 'केरल' से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने, स्तंभ (2) में '1000' अंकों के स्थान पर अंक '1250' तथा स्तंभ (3) में '1000' अंकों के स्थान पर अंक '1250' रखे जाएंगे ;

(iii) 'तमिलनाडु' से संबंधित क्रम सं.7 के सामने, स्तंभ (2) में '1360' अंकों के स्थान पर अंक '1700' रखे जाएंगे ;

(iv) 'महाराष्ट्र' से संबंधित क्रम सं 8 के सामने, स्तंभ (2) में '3700' अंकों के स्थान पर अंक '4200' रखे जाएंगे ;

(v) 'कर्नाटक' से संबंधित क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ (2) में '1266' अंकों के स्थान पर अंक '1500' रखे जाएंगे ;

(vi) 'पंजाब' से संबंधित क्रम सं. 11 के सामने, स्तंभ (2) में '1197' अंकों के स्थान पर अंक '1300' रखे जाएंगे ;

(vii) 'राजस्थान' से संबंधित क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ (2) में '1500' अंकों के स्थान पर अंक '2000' रखे जाएंगे ;

(viii) 'उत्तर प्रदेश' से संबंधित क्रम सं. 13 के सामने, स्तंभ (2) में, '2188' अंकों के स्थान पर अंक '2650' रखे जाएंगे ;

(ix) जम्मू और कश्मीर' से संबंधित क्रम सं. 15 के सामने स्तंभ (3) में '525' अंकों के स्थान पर अंक '1500' रखे जाएंगे ;

(x) 'हरियाणा' से संबंधित क्रम सं. 17 के सामने, स्तंभ (2) में '1338' अंकों के स्थान पर अंक '1500' रखे जाएंगे ;

(xi) 'गोवा' से संबंधित क्रम सं. 25 के सामने, स्तंभ (3) में '350' अंकों के स्थान पर अंक '450' रखे जाएंगे ;

(xii) 'उत्तरांचल' से संबंधित क्रम सं. 26 के सामने, स्तंभ (3) में, '325' अंकों के स्थान पर अंक '425' रखे जाएंगे ;

(xiii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, नामत: —

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "28क तेलंगाना | 800 | 800" ; |

(xiv) 'दिल्ली' से संबंधित क्रम सं. 29 के सामने, स्तंभ (2) में, अंक '1000' के स्थान पर अंक '1600' रखे जाएंगे ;

(xv) क्रम सं. 34 में,—

(क) स्तंभ (1) में शब्द 'पांडिचेरी' के स्थान पर शब्द 'पुडुचेरी' रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (2) में '100' अंकों के स्थान पर अंक '150' रखे जाएंगे ;

(xvi) 'चंडीगढ़' से संबंधित क्रम सं. 35 के सामने, स्तंभ (2) में '108' अंकों के स्थान पर अंक '200' रखे जाएंगे ;

[फा. सं. 15011/46/2018-डीएलए(एन)]

जी. एस. यादव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**टिप्पणी** : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 14.02.1956 के सं. का.नि.आ. 324 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2018

**G.S.R. 815(E ).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule to the Notaries Rules, 1956,---

(i) against serial number 4 relating to Gujarat, in column (2), for the figures "1760", the figures "3000" and in column (3), for the figures "1407", the figures "2900" shall respectively be substituted;

(ii) against serial number 5 relating to Kerala, in column (2), for the figures "1000", the figures "1250" and in column (3), for the figures "1000", the figures "1250" shall respectively be substituted;

(iii) against serial number 7 relating to Tamil Nadu, in column (2), for the figures "1360", the figures "1700" shall be substituted;

(iv) against serial number 8 relating to Maharashtra, in column (2), for the figures "3700", the figures "4200" shall be substituted;

(v) against serial number 9 relating to Karnataka, in column (2), for the figures "1266", the figures "1500" shall be substituted;

(vi) against serial number 11 relating to Punjab, in column (2), for the figures "1197", the figures "1300" shall be substituted;

(vii) against serial number 12 relating to Rajasthan, in column (2), for the figures "1500", the figures "2000" shall be substituted;

(viii) against serial number 13 relating to Uttar Pradesh, in column (2), for the figures "2188", the figures "2650" shall be substituted;

(ix) against serial number 15 relating to Jammu & Kashmir, in column (3), for the figures "525", the figures "1500" shall be substituted;

(x) against serial number 17 relating to Haryana', in column (2), for the figures "1338", the figures "1500" shall be substituted;

(xi) against serial number 25 relating to Goa, in column (3) ), for the figures "350", the figures "450" shall be substituted;

(xii) against serial number 26 relating to Uttaranchal, in column (3), for the figures "325", the figures "425" shall be substituted;

(xiii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "28A. Telangana | 800 | 800"; |

(xiv) against serial number 29 relating to Delhi, in column (2), for the figures "1000", the figures "1600"shall be substituted;

(xv) in serial number 34,—

(a) in column (1), for the word "Pondicherry", the word "Puducherry" shall be substituted;

(b) in column (2), for the figures "100", the figures "150" shall be substituted;

(xvi) against serial number 35 relating to Chandigarh, in column (2), for the figures "108", the figures "200" shall be substituted.

[F.No.15011/46/2018-DLA(N)]

G. S. YADAV, Jt. Secy. & Legal Adviser

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 429(E) dated 18th April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.28 19:10:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 26(अ).**—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में,-

(i) गुजरात से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (2) में '3000' अंकों के स्थान पर अंक '5000' रखे जाएंगे;

(ii) कर्नाटक से संबंधित क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ (2) में '1500' अंकों के स्थान पर अंक '2000' रखे जाएंगे।

[फा.सं. एन-15011/73/2018-उप विधि सलाहकार(एन)]

ज़ोया हाडके, अपर सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 14.02.1956 के सं. का.नि.आ. 324 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 23 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 815(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2019

**G.S.R. 26(E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :---

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Notaries Rules, 1956, —

(i) against serial number 4 relating to Gujarat, in column (2), for the figures "3000", the figures "5000" shall be substituted;

(ii) against serial number 9 relating to Karnataka, in column (2), for the figures "1500", the figures "2000" shall be substituted.

[F.No. N-15011/73/2018-DLA (N)]

ZOYA HADKE, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and were last amended vide notification number G.S.R 815(E), dated the 23rd August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.14 12:51:46 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

## विधि और न्याय मंत्रालय

**(विधि कार्य विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 77(अ).**—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956, से उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "संयुक्त सचिव, भारत सरकार/सरकार का सचिव ..... (राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार/अपर सचिव, भारत सरकार/सचिव, ..... (राज्य का नाम) सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एन-15011/01/2019-एनसी]

ज़ोया हाडके, अपर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 14 फरवरी, 1956 के सं. का.नि.आ. 324 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 11 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 26(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2019

**G.S.R. 77(E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

(1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB, for the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of …… (Name of the State)", the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Additional Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of …… (Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. N-15011/01/2019-NC]

ZOYA HADKE, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 26(E), dated the 11th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.30 23:16:17 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941
No. 644] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**सा.का.नि. 821(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2.** नोटरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) यथा-लागू, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है), जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त पदाभिहित करे, आनलाइन आवेदन कर सकेगा"।

**3.** उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (2क) और उपनियम का लोप किया जाएगा।

**4.** उक्त नियमों के नियम 8ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"8ख. व्यवसाय प्रमाणपत्र का नवीकरण—**नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र का विहित फीस का संदाय किए जाने पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा। व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन समुचित सरकार को वैधता अवधि के अवसान की तारीख से पूर्व (छह मास) प्ररूप XVI में आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।"।

**5.** उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"14. विवरणी प्रस्तुत करना—**प्रत्येक नोटरी प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के पहले सप्ताह में समुचित सरकार को उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए नोटरी कृत्यों की प्ररूप XIV में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।"।

**6.** उक्त नियमों में, प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"प्ररूप 1**

**[देखें नियम 4(2)]**

फोटो

| | |
|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम ..... |
| 2. | पिता/पति का नाम ..... |
| 3. | जन्म की तारीख ..... |
| 4. | क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य वर्ग से हैं ..... |
| 5. | पता (निवास) .....<br>पिन .....<br>टेलीफोन/मोबाइल ..... फैक्स ..... ई-मेल .....<br>पता (कार्यालय) .....<br>पिन ..... आधार नंबर ..... पैन नंबर .....<br>टेलीफोन/मोबाइल ..... फैक्स ..... ई-मेल ..... |
| 6. | शैक्षिक अर्हताएं (कृपया स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें) |
| 7. | विधिज्ञ परिषद् की नामांकन संख्या और तारीख (कृपया स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करें) |
| 8. | व्यवसायरत .....<br>सिविल .....<br>दांडिक .....<br>कर .....<br>राजस्व न्यायालय ..... |
| 9. | क्या आयकर निर्धारिती है ..... |
| 10. | आवेदक (आवेदक का स्पष्ट अक्षरों में नाम) घोषणा करता है कि .....<br>1. आवेदक नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति है ;<br>2. आवेदक अधिवक्ता के रूप में ..... (यहां स्थानीय क्षेत्र और न्यायालय के नाम का कथन करें, जहां वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने का आशय रखता है) व्यवसाय करता है ;<br>3. स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले नोटरी वहां की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं (अधिक नोटरियों को जोड़ने के आधारों का कथन करते हुए विवरण)<br>.....<br>.....<br>4. आवेदन करने वाले के द्वारा किसी पूर्व आवेदन को पिछले छह मास के दौरान अस्वीकार नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापस नहीं लिया गया है ; |

आवेदक, इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकार नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन ..... (यहां उस स्थानीय क्षेत्र के नाम का वर्णन करें, जहां वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने की वांछा करता है) उसकी नियुक्ति करे और उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करे ।

तारीख :

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

**टिप्पण :** (1) आवेदन की प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में अग्रिम हार्ड प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :--

(i) जन्म की तारीख से संबंधित सबूत, आधार और पैन कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(ii) स्नातक डिग्री की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(iii) विधि डिग्री की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(iv) संबंधित विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(v) विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति को नोटरी के रूप में चयन होने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी

(vi) जहां आवेदक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है, से संबंधित जिला न्यायाधीश या न्यायालय या अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से अनुभव प्रमाणपत्र

**"प्ररूप XVI**

**[देखें नियम 8ख]**

सेवा में,

विधि सचिव,

विधि कार्य विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली ।

विषय : ..... से व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए अनुरोध (रजिस्ट्रीकरण संख्या .....)

महोदय,

आवेदक को ..... तारीख से रजिस्ट्रीकरण संख्या द्वारा नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए संपूर्ण ..... में नियुक्त किया गया था । आपसे अनुरोध है कि इसका ..... से ..... तक यथा शीघ्र नवीकरण कर दें ।

भवदीय,

तारीख :

स्थान :

[फा. सं. एन-15011/56/2019-डीएलए(एन)]

एस. आर. मिश्रा, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. सं. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 77(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**G.S.R. 821(E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for sub-rule(1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) A person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called "the applicant") **online** in Form I or Form II as applicable, addressed to such officer or authority (hereinafter referred to as the "competent authority") of the appropriate Government as that Government may, by notification in the Official Gazette, designate in this behalf".

3. In the said rules, in rule 4, sub-rule (2A) and (3) shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 8B, the following shall be substituted, namely:—

"8B. Renewal of Certificate of Practice.- The Certificate of Practice issued under sub-rule (4) of rule 8 may be renewed for a further period of five years on payment of prescribed fee. An application for renewal of Certificate of Practice shall be submitted **online** in Form XVI to the appropriate Government before (six months) from the date of expiry of its period of validity.".

5. In the said rules, for rule 14, the following shall be substituted, namely:—

**"14. Submission of returns.—**Every notary shall, in the first week of January every year, submit to the appropriate Government, an annual return **online** in Form XIV of the notarial acts done by him during the preceding year".

6. In the said rules, for Form I, the following shall be substituted, namely:—

FORM I

[See rule 4 (2)]

Photograph

1. Name of the applicant……
2. Father's/Husband's name…….
3. Date of Birth…….
4. Whether SC/ST/OBC/General……
5. Address(residence)……. -----

Pin……..

Telephone/Mobile……Fax……..E-Mail……

Address (official)…….

Pin……Aadhaar No. ……PAN No……..

Telephone/Mobile……Fax……..E-Mail……

6. Educational Qualifications (Please upload self-attested scanned copies).
7. Enrolment number and date of the Bar Council (Please upload self-attested copy)
8. Practicing in……

Civil side…….

Criminal side……..

Taxation side……

Revenue Courts…….

9. Whether Income-tax ssesse……

10. The application of (name of the applicant in block letters) showeth……

1. That the applicant is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952, and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

2. That the applicant practices as an Advocate…… ……. (herein state the name of the local area and name of court where he intends to practice as an Advocate)

3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements thereof (Statement to be added stating grounds for requirement of more Notaries)…….. ……..

4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

The applicant, therefore, prays that the Government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956, to practice in…….. (Mention here the name of the local area where he/she intends to practice as Notary).

Dated…….day of……..20……

..……

Signature of the applicant

**Note : (1)** No hard copies or advance copies of the application in Form I and Form II will be accepted. The following documents shall be submitted at the time of the interview:-

(i) Proof pertaining to date of birth, copy of Aadhaar and PAN Card (self-attested)

(ii) Copy of Graduation Degree. (Self-attested).

(iii) Copy of Law Degree. (Self-attested).

(iv) Copy of Certificate of enrolment issued by the Bar Council concerned (self-attested).

(v) No Objection Certificate issued by the Bar Council concerned State need to be submitted on selection as notary.

(vi) Experience certificate from the concerned District Judge or Presiding Officer of the court or Tribunal where the applicant practices as an Advocate.

FORM XVI

[See rule 8B]

To,

The Law Secretary,

Department of Legal Affairs,

Ministry of Law and Justice,

Shastri Bhawan,

New Delhi.

Subject- Request for renewal of Certificate of Practice w.e.f. _____

(Regn. No._____)

Sir,

The applicant was appointed as Notary vide Registration No._____ w.e.f._____ to practice as such, in and throughout_____. You are requested to renew the same w.e.f. _____ to _____ at the earliest.

Name of the Applicant

Date:

Place:

[F. No. N-15011/56/2019-DLA(N)]

S. R. MISHRA, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 77(E) dated 30th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.06 23:17:24 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227166
CG-DL-E-25052021-227166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
No. 275] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

**सा.का.नि. 341(अ).**—केंद्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952(1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा अर्थात्-

"(कग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (द) में यथापरिभाषित बेंचमार्क अक्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।"

[ई.ओ. सं. 378186/2021]

राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव

**नोट :** प्रमुख नियम दिनांक 14 फरवरी, 1956 की संख्या एस.आर.ओ. 324 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 5 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ) के तहत इसमें अंतिम संशोधन किये गये थे।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2021.

**G.S.R. 341(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Rule 3, after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely-

"(ac) a person with benchmark disability as defined in Clause (r) of Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), who has been practicing for at least seven years, as a legal practitioner."

[E.O. No. 378186/2021]

RAJVEER SINGH VERMA, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part Il, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 821 (E), dated the 5th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.25 17:58:13 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230507
CG-DL-E-18102021-230507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
No. 603] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2021

**सा.का.नि. 746(अ).**—नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्रम सं. 13 के सामने–

(i) स्तंभ (2) में, '2650' अंकों के स्थान पर, '5150' अंक रखे जाएंगे।

(ii) स्तंभ (3) में, '2625' अंकों के स्थान पर, '5125' अंक रखे जाएंगे।

[ई.ओ. सं. 388030/2021-एनसी]

राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव

**नोट :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में का.नि.आ. 324 दिनांक 14 फरवरी, 1956 में प्रकाशित किए गए थे उनका पिछला संशोधन सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 25 मई, 2021 अधिसूचना संख्या के तहत हुआ था।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (Department of Legal Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

**G.S.R. 746(E).—**In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Notaries Rules, 1956, against serial number 13 relating to Uttar Pradesh,-

(i) in column (2), for the figures "2650", the figures "5150" shall be substituted ;

(ii) in column (3), for the figures "2625", the figures "5125" shall be substituted.

[E. O. No. 388030/2021-NC]

RAJVEER SINGH VERMA, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part Il, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 341 (E), dated the 25th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.18 23:13:27 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2006/भाद्र 2, 1928
No. 389] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2006/BHADRA 2, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2006

**सा.का.नि. 501(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियत बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची के स्तंभ (1) में "गोवा" से संबंधित क्रम सं. 25 के सामने स्तंभ (3) में "50" अंक के स्थान पर "75" अंक रखा जाएगा ।

[फा. सं. 5(271)/2001-एन.सी.]

आर. एम. शर्मा, अपर सचिव

**टिप्पण** :–मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003 और सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006 द्वारा संशोधित किए गए ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2006

**G.S.R. 501(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in column (1), against serial number 25 relating to "Goa" , in column (3), for the figure "50", the figure "75" shall be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC]

R. M. SHARMA, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001 and G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003 and G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2006/वैशाख 29, 1928
No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2006/VAISAKHA 29, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक मामले विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2006

**सा.का.नि. 296(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में,

(i) स्तम्भ (1) में, 'पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़' से संबंधित क्रम संख्यांक 11, 17, 29 और 35 के सामने स्तम्भ (1) में "425, 475, 325 और 25" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "638, 713, 488 और 38" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ii) स्तम्भ (1) में, 'आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़' से संबंधित क्रम संख्यांक 1, 5, 6, 7, 8 और 27 के सामने स्तम्भ (3) में "575, 375, 1125, 725, 875 और 400" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "863, 563, 1688, 1088, 1313 और 600" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2001-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 और सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2006

**G.S.R. 296(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries rules, 1956, in the Schedule.

(i) in column (1) against serial numbers 11, 17, 29 and 35 relating to 'Punjab, Haryana, Delhi and Chandigarh', in column (2), for the figures "425, 475, 325 and 25", the figures "638, 713, 488 and 38" shall respectively be substituted.

(ii) in column (1), against serial numbers 1, 5, 6, 7, 8 and 27 relating to 'Andhra Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Chhattisgarh', in column (3), for the figures 575, 375, 1125, 725, 875 and 400, the fugures "863, 563, 1688, 1088, 1313 and 600" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC]

R. RAGHUPATHI, Jt. Secy. and Government Counsel

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001 and G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2201, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001 and G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2011/कार्तिक 23, 1933
No. 615] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2011/KARTIKA 23, 1933

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2011

**सा.का.नि. 808(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 से उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "सक्षम प्राधिकारी (नोटरी) भारत सरकार/सरकार का सचिव ..... (राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार/सचिव, ..... (राज्य का नाम) सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 5(187)/2003-एनसी]

डी. आर. मीणा, सचिव

**टिप्पण.**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 764(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009 सा.का.नि. 700(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2009 और सा.का.नि. 843(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2011

**G.S.R. 808(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2011.

4164 GI/2011